18

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, वाराणसी।

पत्र संख्याः एसटी/एफएस/आई–3(स्कूल/बी)/09

दिनांक मई. 06 2019

सेवा में,

प्रबन्धक,
आर.बी.सी चिल्ड्रेन अकॅडमी,
खारूपुर, नारायणपुर
थाना–चौबेपुर, जनपद–वाराणसी।

विषय : विद्यालय भवन आर.बी.सी चिल्ड्रेन अकॅडमी, खारूपुर, नारायणपुर, थाना–चौबेपुर, जनपद–वाराणसी में अधिष्ठापित जीव रक्षा प्रणाली एवं अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण कर अग्निशमन प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के संबंध में।

संन्दर्भ : आपका पत्रांकः शून्य दिनांक 30.04.2019

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुसार विद्यालय भवन आर.बी.सी चिल्ड्रेन अकॅडमी, खारूपुर, नारायणपुर, थाना–चौबेपुर, जनपद–वाराणसी का स्थलीय निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी भेलूपुर, द्वारा किया गया जिनकी उपलब्ध आख्या दिनांक 04.05.2019 का परिशीलन किया गया जिसका विवरण निम्नवत है।

A. भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणीः– भवन का अधिभोग शैक्षणिक भवन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। विद्यालय भवन ग्रुप बी–1 के श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत है।

1. मुख्य अग्निशमन अधिकारी वाराणसी के पत्र संख्याः एसटी/एफएस/आई–3(स्कूल/सीबी)/09 दिनांक 22.04.2012 के द्वारा अग्निशमन व्यवस्थाओं का अग्निशमन प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।
2. प्रबन्धक द्वारा उपलब्ध कराये गये शपथ पत्र दिनांक 04.05.2018 के अनुसार भवन वर्ष–2010 के पूर्ण का निर्मित है, उक्त भवन भूतल व 02 अन्य तल तक का निर्मात है तथा प्रबन्धक द्वारा एक माह के अन्दर प्रत्येक तल पर होजरील, 10000 लीटर का टैरेस टैंक व टैरेस टैंक के पास एक अदद फायर पम्प 450 एल0पी0एम0 क्षमता का स्थापित करके कार्यालय उपरोक्त को सूचित किया जायेगा।
3. पहुँच मार्गः–उक्त स्थल तक अग्निशमन के वाहन सुगमता पूर्वक पहुँचकर अग्निशमन कार्य कर सकते हैं।
4. प्रवेश द्वारा की चौड़ाई–उक्त भवन में गेट की चौड़ाई–4.00 मीटर है।
5. निकास मार्गः–उक्त भवन के दो स्टेयर केस निर्मित है।
6. अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाः– उक्त भवन में प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर) 20 अदद संतोषजनक स्थिति में उपलब्ध है जिसका निरीक्षण/परीक्षण शुल्क चालान संख्या वी070094 के द्वार दिनांक 03.05.2019 को रूपया–200/–राजकीय कोष में जमा करा दिया गया है।
7. पब्लिक एनाउन्समेट सिस्टम की व्यवस्था स्कूल भवन में की गई है।

B. माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्याः 483/2009 में पारित आदेश दिनांक 13.04.2009 का पालन अनिवार्य होगा, जिसमें स्पष्ट रूप से निर्देशित है किः–

1. किसी भी स्कूल को मान्यता देने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि स्कूल का भवन नेशनल बिल्डिंग कोड में प्रविधानित सुरक्षा मानकों के अनुरूप है।
2. समस्त शजकीय और निजी विद्यालयों में एक माह में अग्निशमन यंत्र स्थापित किये जाय।
3. विद्यालय के भवन में ज्वलनशील एवं जहरीलें पदार्थ न रखे जाए और यदि उन्हें रखना अति आवश्यक हो तो उन्हें सुरक्षित ढंग से रखने का उपाय किया जाए।
4. समय–समय पर विद्यालय के भवन की मजबूती की समीक्षा सनिश्चित की जाए। संबंधित अधिकारी एवं अभियंता इस संबंध में नेशनल बिल्डिंग कोड के मानकों के अनुरूप सुरक्षा प्रमाण पत्र केवल समुचित जॉच के उपरान्त ही प्रदान करेगें। नियमों के विरूद्ध यदि प्रमाण पत्र जारी किये जाते हैं तो इस संबंध में दोषी पाए गए कर्मियों के विरूद्ध अनुसाशनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

—02 पर

Principal
R.B.C. Children Academy
Kharupur, Narayanpur
Chaubepur, Varanasi

PRINCIPAL
KACHHAWA CHRISTIAN SCHOOL
(A Programme of ACTS Ministries)
Kachhawa, Mirzapur-231501

Manager
R.B.C. Children Academy
Kharupur, Narayanpur
Chaubepur, Varanasi

प्राचार्य/Principal
केन्द्रीय विद्यालय, देवरिया
Kendriya Vidyalaya Deoria
Pin-274001

C. उक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित बिन्दुओं का पालन करना भी अनिवार्य होगा।

1. विद्यालय के स्टाफ तथा शिक्षकों को अग्निशमन उपकरणो और सुरक्षा उपायों के लिए प्रशिक्षित किया जाए।
2. शिक्षा (6) अनुभाग के शासनादेश संख्या 1528/9–6–2008 दिनांक 20 जुलाई, 2009 का पालन अनिवार्य होगा।
3. फायर सर्विस मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा निर्गत आदेश पत्र संख्याः एफ0एस0–1070/2012 दिनांक 05 अक्टूबर, 2012 का पालन अनिवार्य होगा।
4. नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया–2005 के मानकों का उल्लंघन किसी भी दशा में न किया जाय।
5. उपरोक्त शर्तों का विचलन होने पर यदि कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो उसकी जिम्मेदारी स्वामी/प्रबन्धक/प्रधानाचार्य की होगी।
6. अग्निशमन सुरक्षा प्रणाली को ठीक कराये जाने तथा उक्त आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने तक भवन का प्रयोग स्वयं की जिम्मेदारी पर किया जायेगा।

अतः उपरोक्तानुसार आर.बी.सी चिल्ड्रेन अकॅडमी, खारूपुर, नारायणपुर, थाना–चौबेपुर, जनपद–वाराणसी भवन में अधिष्ठापित जीव रक्षा प्रणाली एवं अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाओं का इस कार्यालय के पत्र संख्याः एसटी/एफएस/आई–3(स्कूल/सीबी)/09 दिनांक 22.04.2016 के द्वारा अग्निशमन व्यवस्थाओं का अग्निशमन प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है, जिसके कम में उपरोक्त अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था एवं जीव रक्षा प्रणाली को सदैव कार्यशील दशा में बनाए रखने तथा प्रबन्धक द्वारा उपलब्ध कराये गये शपथ पत्र दिनांक 04.05.2019 में उल्लेखित शर्तों का पूर्णतः पालन करने एवं प्रत्येक वर्ष अग्निशमन विभाग से निरीक्षण/परीक्षण कराकर विहित फीस राजकीय कोष में जमाकर प्राप्त पत्र का नवीनीकरण कराये जाने की शर्त पर अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाओं के अग्निशमन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। जो निर्गत तिथि से एक वर्ष तक के लिए वैध माना जायेगा।

उपरोक्त किसी भी अग्निशमन व्यवस्था/जीव रक्षा प्रणाली के अकार्यशील होने पर निर्गत अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाओं के अग्निशमन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

06 MAY 2019

(राकेश राय)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वाराणसी।

प्रतिलिपि–अग्निशमन अधिकारी भेलूपुर, वाराणसी को उनकी आख्या दिनांक 04.05.2019 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

PRINCIPAL
KACHHAWA CHRISTIAN SCHOOL
(A Programme of ACTS Ministries)
Kachhawa, Mirzapur-231501

Principal
R.B.C. Children Academy
Kharupur, Narayanpur
Chaubepur, Varanasi

Manager
R.B.C. Children Academy
Kharupur, Narayanpur
Chaubepur, Varanasi

प्राचार्य/Principal
केन्द्रीय विद्यालय, देवरिया
Kendriya Vidyalaya Deoria
Pin-274001